कार्मिक

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

वमकाधि कार्यालय रायपुर ,
Office of the Sr Divl Personnel Officer, R

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
Phone – (Rly) 72430
FAX – (P&T) 2252290

क्रमांक -ई/ पी.बी./ आर/ भर्ती/ एक्ट अप्रेंटिस/ 2018/10 दिनांक 16.08.2018

Skill India

अधिसूचना

विषय :-वर्ष 2018-19 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर मण्डल & वेगन रिपेयर शॉप (WRS)/ रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसों का चयन (Engagement)।

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर मण्डल & वेगन रिपेयर शॉप (WRS)/ रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेड़ों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए रायपुर मण्डल हेतु पात्र उम्मीदवारों से **www.secr.indianrailways.gov.in** वेबसाइट पर दिनाक 18.08.2018 से 09.09.2018 तक ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

अ) रिक्तियों / पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार):

1.1.रायपुर मंडल की रिक्तियों/ पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार)

क्र. सं	ट्रेड	कोर्स अवधि	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	अना	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै
1	वेल्डर	एक वर्ष	04	**02**	**08**	**14**	**28**	01	01
2	टर्नर	एक वर्ष	03	02	06	12	**23**	00	00
3	कारपेंटर	एक वर्ष	03	02	06	12	**23**	00	00
4	फिटर	एक वर्ष	13	07	23	44	**87**	03	03
5	इलेक्ट्रीशियन	एक वर्ष	11	05	19	36	**71**	02	02
6	आशुलिपिक एव सचिवालय सहायक (अंग्रेजी/ हिन्दी)	एक वर्ष	01	00	01	02	**04**	00	00
7	कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट	एक वर्ष	01	01	02	04	**08**	00	00
8	पेंटर	एक वर्ष	00	00	01	02	**03**	00	00
9	कार्यालय सहायक सह कंप्युटर ऑपरेटर	एक वर्ष	01	00	01	03	**05**	00	00
10	हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर	एक वर्ष	00	00	01	03	**05**	00	00
	कुल		**37**	**19**	**68**	**131**	**255**	**06**	**06**

1.2 .वेगन रिपेयर शॉप/ रायपुर की रिक्तियों/ पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार)

क्र.सं	ट्रेड	कोर्स अवधि	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	अना	दिव्यांग	कुल
1	फिटर	एक वर्ष	10	05	18	34	02	69
2	वेल्डर	एक वर्ष	10	05	18	34	02	69
3	मशीनिस्ट	एक वर्ष	01	00	01	03	00	05
4	इलेक्ट्रीशियन	एक वर्ष	01	01	02	05	00	09
5	मेकनिक मोटर गाडी	एक वर्ष	00	00	01	02	00	03
6	टर्नर	एक वर्ष	00	00	01	02	00	03
	कुल		**22**	**11**	**41**	**80**	04	**158**

2. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वी (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबन्धित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. आयु सीमा :

अभ्यर्थी की आयु दिनाक 16.08.2018 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए । *अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी । समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिये ;

क्र.सं	समुदाय	अभ्यर्थी जिनका जन्म निम्नांकित तिथि के मध्य हुआ हो
01	अनारक्षित	16.08.1994 से 16.08.2003
02	अनुसूचित जाति	16.08.1989 से 16.08.2003
03	अनुसूचित जनजाति	16.08.1989 से 16.08..2003
04	अन्य पिछडा वर्ग	16.08.1991 से 16.08.2003
05	दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक	16.08.1984 से 16.08.2003

* उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।

4. अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृति:-

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप मे engage किए जाएंगे तथा उन्हें केवल् 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छतीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा।

5. चयन प्रक्रिया :-

प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. मे प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017)

6. चिकित्सा परीक्षण :-

6.1:- अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 समय - समय पर यथासंशोधन के तहत एक अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु पात्र होगा, यदि वह उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियम मे विहित आहर्तावों के अनुसार शारीरिक स्वस्थता के न्यूनतम मापदंड को पूरा करता/करती है एवं संबंधित ट्रेड मे प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित मानक रेलवे चिकित्सक द्वारा उपयुक्त प्रमाणित होता है तो प्रशिक्षण का पात्र होगा।

6.2:- चिकित्सा परीक्षण शुल्क के रूप मे अभ्यर्थी को 24/- रुपए का भुगतान करना होगा।

7. संविदा : चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा (यदि नाबालिग हो तो अभिभावक द्वारा)।

8. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा । अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें ।

9. भूतपूर्व सैनिक :-

9.1:- 3% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी मे रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।

क) मृत सैनिक के बच्चे/ युद्ध के समय मारे गए/ दिव्यांग सैनिक सहित,

ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे ,

ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे,

घ) भूतपूर्व सैनिक,

ङ) सेवारत जवान के बच्चे ।

10. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि :

पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑन लाइन प्रक्रिया से दिनांक 18.08.2018 से 09.09.2018 तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की भौतिक(Physical) प्रति रायपुर न भेजें ।

11. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-

(क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें , वैबसाइट का पता - **www.secr.indianrailways.gov.in**

(ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।

(ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाब डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप मे ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए /डीए नहीं दिया जाएगा।

(ड़) अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ एवं स्कैंड (Scanned) हस्ताक्षर सहित शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता से संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ की साफ्ट/स्कैंड कॉपी वैबसाइट पर अपलोड करना होगा।

(च) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(छ) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत /जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण मे, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

(ज) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलाबा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय मे जमा किए गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(झ) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)

(त) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति . अस्वीकृति . पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

13. तकनीकी सहायता हेतु – : इस कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0755-4910052 एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी हेतु –: इस कार्यालय के दूरभाष नम्बर 9752877639 से कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से 18 बजे तक कार्यालयीन दिवस में सम्पर्क की जा सकती है ।

नोटः- किसी संशय/ विरोधाभाष कि स्थिति मे अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

(संग्राम सोरेन) 16/8/18
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल कार्मिक अधिकारी (समन्वय)
द.पू.म.रेलवे, रायपुर

क्रमांक -ई/ पी.बी./ आर/ भर्ती/ एक्ट अप्रेंटिस/ 2018/10 दिनांक 16.08.2018.

प्रतिलिपि –

1. समस्त जिला रोजगार अधिकारी/ रायपुर, से अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवारों से आग्रह करें कि उम्मीदवार इस कार्यालय की वेब पोर्टल www.secr.indianrailways.gov.i के माध्यम से आवेदन करें ।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ ।
3. समस्त शाखा अधिकारी, रायपुर मंडल
4. मंडल समंवयक/ द.पू.म.रे.म.काँग्रेस/ रायपुर
5. मंडल सचिव/ अ.भा.अनु.जा.जजा.रे.क.संघ एवं द.पू.म.रे.अ.पि.व.रे.क.संघ/ रायपुर
6. जनसंपर्क अधिकारी/ द.पू.म.रे/ रायपुर
7. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/ रायपुर
8. सूचना पटल

कृते मंडल कार्मिक अधिकारी (समन्वय)